राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः 8(2)(17)निर्वा / 2013 / 4896 जयपुर, दिनांक 26.09.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
राजस्थान।

विषयः–विधानसभा आम चुनाव, 2013 – सैक्टर अधिकारी की नियुक्ति एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की पहचान –बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के द्वारा विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी विधानसभा निर्वाचन में क्षेत्रों सैक्टर अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश जारी किये गये हैं।

इसी प्रकार क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की पहचान कर उनकी श्रेणी यथा एस–1, एस–2, एस–3 एवं एस–4 आदि से अवगत कराने हेतु पूर्व में ही आपको निर्देश दिये जा चुके हैं।

सैक्टर अधिकारियों का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु विभाग के द्वारा सुविधा प्रदान की गई है।

मतदान केन्द्र की सूची विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर यह सुविधा प्रदान की गई है कि यदि इसके नाम में कोई परिवर्तन होता है तो उसको जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकता है तथा मतदान केन्द्र किस केटेगरी यथा एस–1, एस–2, एस–3 एवं एस–4 या सामान्य में आता है, इसका अंकन करने की भी सुविधा प्रदान की गई है।

सैक्टर अधिकारियों एवं मतदान केन्द्रों से संबंधित सूचनाऐं विभाग की वेबपोर्टल पर अपडेट करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी का पासवर्ड वही होगा जो पूर्व में ERMS के अन्तर्गत मतदाता सूचनाओं से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र अपलोड करने हेतु दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि सैक्टर अधिकारियों का विवरण एवं मतदान केन्द्र की केटेगरी को दिनांक 28.09.2013 तक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना तथा यदि मतदान केन्द्रों के नाम में कोई संशोधन वांछित है तो उसे भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः 8(2)(17)निर्वा / 2013 / जयपुर, दिनांक .09.2013

प्रतिलिपि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

//
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

C:\Users\JOINT CEO\Desktop\Election Letters .docx